भारतीय संविधान मे संशोधन प्रक्रिया
Amendment Process in indian Constitution

संविधान संशोधन की प्रक्रिया → समय के साथ
संविधान के प्रावधानों का संशोधन होता रहना
चाहिए। अन्यथा वह चल नही सकेगा।
प्रकृति से संविधान नमनशील या लचीला हो
जाता है। संशोधन प्रणाली का प्रावधान होता है।
यदि यह प्रणाली सरल है। तो अपनी प्रकृति से
संविधान नमनशील या लचीला होता है
संशोधन का बिल संसद से साधारण बहुमत
से पास होकर राज्याध्यक्ष की अनुमति
पाकर कानून बन जाता है। संशोधन का बिल
संसद से साधारण बहुमत से पास होकर
संसद द्वारा निर्मित साधारण या निम्न विधि
मे अन्तर नही होता। ब्रिटिश संविधान
इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। यदि यह संशोधन
प्रणाली बहुत कठिन है तो अपनी प्रकृति से
से संविधान कठोर हो जाता है।

संविधान की संशोधन प्रणाली का अध्ययन क
से यह विदित होता है कि इसमें लचीलापन
व कठोरता का अद्भुत मिश्रण है।

इसके कुछ प्रावधानों को संसद साधारण बहु
से बिल पास करके [illegible] ी है।
कुछ प्रावधानों को [illegible] सकती है
लेकिन ऐसा बिल [illegible] मे विशे
बहुत से कम आधे राज्यों का समर्थन
भी मिलना चाहिए। ~~आपत्ति की बात~~

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

हर संविधान की अपनी विशेषताएँ होती है।
देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे म